136
7/9/19

राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)–302015

RMENT

2232-2382

अतिआवश्यक

क्रमांकः प.25( )निभापुवि/शै.प्र./हिन्दी दिवस/19/

जयपुर, दिनांक 3/9/19

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर

D.CA Copy

F.D. No. 439 PS/CCE/Os
Dated 4-9-19

परिपत्र

विषय : हिन्दी दिवस (14 सितम्बर, 2019) पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित ही है कि 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष केन्द्र व राज्य सरकार के सभी विभागों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों आदि के द्वारा हिन्दी दिवस को समारोह के रूप में उत्साहपूर्वक मनाने की परम्परा है।

राजस्थान हिन्दी भाषी प्रदेश है अतः यह आवश्यक है कि इस दिन राज्य के समस्त विभागों, कार्यालयों, अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जाए। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्रादेश समसंख्यक क्रमांक प.3(82)भावि/रचना/2000/4409-4909 दिनांक 22.08.2000 को जारी किया गया था एवं प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा भी इस संबंध में परिपत्रादेश जारी किये जाते है।

अतः आप सभी अधिकारीगण से पुनः आग्रह है कि प्रदेश में हिन्दी के उपयोग हेतु संकल्पबद्ध होकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी दिवस के अवसर पर आपके अधीनस्थ विभागों, कार्यालयों, संस्थानों एवं समस्त शैक्षणिक संस्थानों में समारोहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। इस अवसर पर अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं एवं आमजन में हिन्दी के प्रति सम्मान एवं दैनिक व्यवहार में हिन्दी प्रयोग के प्रति प्रेरणा एवं उत्साह के संचार की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं जैसे कि हिन्दी से सम्बन्धित विचार गोष्ठी, निबन्ध लेखन, काव्य गोष्ठी, वाद-विवाद/श्रुतिलेखन/हिन्दी टंकण प्रतियोगिता या इसी तरह के साहित्यिक कार्यक्रम आदि। आपके विभाग, अधीनस्थ कार्यालयों, संस्थानों द्वारा इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम एक दिवसीय अथवा हिन्दी सप्ताह के रूप में आयोजित किये जा सकते हैं।

आप इस तथ्य से भी अवगत हैं कि हिन्दी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन जयपुर में किया जाता है। कृपया अपने विभागों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत राजभाषा संपर्क अधिकारी को भी इस राज्य स्तरीय समारोह में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित करें ताकि हिन्दी के प्रयोग के संवर्द्धन हेतु किये जा रहे प्रयासों की उन्हें जानकारी हो सके तथा विभाग के प्रकाशन आपके कार्यालय में उपलब्ध हो सकें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आपके विभाग/कार्यालय/संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों की सूचना एवं रिपोर्ट निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को भिजवाएं। इन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से भी किया जाए। संपूर्ण प्रदेश में हिन्दी के प्रयोग हेतु सुखद वातावरण के सृजन के लिए आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन्)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय

राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)–302015

क्रमांकः प.25( )निभापुवि/शै.प्र./हिन्दी दिवस/19/ 2232 - 2382 जयपुर, दिनांक 3/9/19.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्री।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. निबन्धक, राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, आकाशवाणी प्रसार भारती, जयपुर।
9. निदेशक, दूरदर्शन, जयपुर।
10. समस्त प्रबन्ध निदेशक, निगम/स्वायत्तशासी संस्थान /मंडल /उपक्रम। कॉलेज शिक्षा
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
13. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय।
14. उपनिदेशक (अनुवाद), स्थानीय कार्यालय को उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
15. समस्त पुस्तकालयाध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय/मण्डल/जिला/पंचायत समिति..................................।
16. रक्षित पत्रावली।

(विष्णु कुमार गोयल)
निदेशक एवं पदेन
शासन उप सचिव

कार्यालय आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.8(सा.प्रो.)अकाद / आकाशि / 18 / पार्ट / 386 दिनांकः 9.9.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कार्यालय शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करें।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृप्या आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

9/9/19

(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)